/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण **07, 1944**

शुक्रवारः **29** जुलाई **2022**

ईसीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल

(i) ईसीएचएस रक्षा पेंशन लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों के साथ उनके पात्र आश्रितों के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2003 को शुरू हुई । इस स्कीम में लगभग 55 लाख लाभार्थियों को कैशलेस और केपलेस चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है । भारत सरकार की विशेष मंजूरी द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों, आपातकाल कमीशन प्राप्त अफसरों, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों और समयपूर्व सेवानिवृत्तों को भूतपूर्व सैनिक होने और रक्षा लेखा नियंत्रक से पेंशन लेने की अनिवार्य शर्तों को हटाकर दिनांक 07 मार्च, 2019 को प्रदान की गई है।

(ii) ईसीएचएस भारत में 427, नेपाल में 6 ईसीएचएस पॉलीक्लीनिकों, 30 ईसीएचएस क्षेत्रीय केन्द्रों और पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के बृहत नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है ।

(iii) तीन सेनाओं के अलावा निम्नलिखित संगठनों/श्रेणियों के कार्मिक ईसीएचएस सदस्यता के लिए हकदार हैं:-

1) प्रादेशिक सेना
2) रक्षा सुरक्षा कोर
3) वर्दी वाले भारतीय तटरक्षक
4) सैन्य नर्सिंग सेवा
5) विशेष सीमा बल

6) नेपाल अधिवासी गोरखा

7) पूर्णकालिक एनसीसी अफसर

8) सेना डाक सेवा

9) असम राइफल्स

10) द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर (एसएससीओ), आपातकाल कमीशन प्राप्त अफसर (ईसीओ) और समयपूर्व सेवानिवृत्त सैनिक।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में ईसीएचएस के माध्यम से लगभग **1.65** करोड़ लाभार्थियों ने चिकित्सा सेवाएं प्राप्त की हैं और **17.65** लाख लाभार्थियों ने डेंटल सेवाएं प्राप्त की हैं ।

स्कीम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 14,637.89 करोड़ रू और वर्तमान वर्ष में 1768.38 करोड़ रू. (07 जुलाई, 2022 के अनुसार) की धनराशि व्यय की हैं ।

(i) आंध प्रदेश में पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) का जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	जिला	पैनलबद्ध एचसीओ
1)	कृष्णा	09
2)	अनंतपुर	01
3)	चित्तूर	04
4)	पश्चिमी गोदावरी	02
5)	गुंटूर	09
6)	प्रकाशम	01
7)	कुरनूल	01
8)	नैल्लोर	02
9)	कडप्पा	02
10)	विशाखापतनम	13
11)	पूर्वी गोदावरी	06
12)	श्रीकाकुलम	03
कुल		**53**

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 07, 1944

शुक्रवारः 29 जुलाई 2022

रक्षा विनिर्माण में निजी कंपनियां

रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, उसे मई, 2021 में 100 प्रतिशत तक भारत के निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला गया। रक्षा क्षेत्र को खोले जाने के समय से 358 कंपनियों को विभिन्न रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए 584 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रदत्त औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को भी 03 वर्षों से बढ़ाकर 15 वर्षों तक कर दिया गया है। औद्योगिक लाइसेंसों की बढ़ी वैधता से कंपनियों को अवरोध रहित संचालन तथा विनिर्माण प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त समय एवं स्थान मिला है।

इसके अलावा, घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विगत कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत पहलें प्रारंभ की हैं और देश में रक्षा उपस्करों के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास

तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारी सशस्त्र सेनाओं को सशक्त करने के लिए स्वदेशी रक्षा उपस्करों के उत्पादन में बढ़ावा हुआ है । इन पहलों में अन्य बातों के साथ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के अन्तर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को वरीयता देना; मार्च, 2022 में उद्योग द्वारा अभिकल्पन एवं विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा; सेना की कुल 310 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) की 2958 मदों की दो 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' जिसमें उनके समक्ष इंगित समय-सीमा के बाद आयात पर निषेध होगा, की अधिसूचना; दीर्घकालिक वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देते हुए एफडीआई का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; स्टार्टअपों एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवोन्मेष (आईडेक्स) योजना का शुभारंभ; सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुगम बनाने के लिए सृजन नामक स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ; उच्च गुणकों के साथ रक्षा विनिर्माण के लिए विनिवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल देते हुए ऑफसेट नीति में सुधार करना और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रत्येक में एक रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना; उद्योग, स्टार्टअप एवं शैक्षिक क्षेत्र के लिए आर एवं डी बजट का 25 प्रतिशत राष्ट्र में रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित करते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) का शुभारंभ; घरेलू स्त्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए मिलिट्री आधुनिकीकरण के रक्षा बजट के आबंटन में प्रगामी वृद्धि आदि करना सम्मिलित है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 07, 1944

शुक्रवारः 29 जुलाई 2022

सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण

रक्षा सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण में रक्षा क्षमताओं के उन्नयन और वृद्धि के लिए नए अत्याधुनिक प्लेटफार्मों, प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों का अर्जन शामिल है और यह सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण परिदृश्य का सामना करने हेतु सशस्त्र सेनाओं को तैयार स्थिति में रखने के लिए खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक आवश्यकताओं और तकनीकी बदलावों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। सरकार यह सुनिश्चित करने को उच्चतम प्राथमिकता देती है कि किसी भी प्रकार की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सशस्त्र बल नए उपस्कर और क्षमताओं के तकनीकी उन्नयन द्वारा पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों।

सशस्त्र सेनाओं की उपस्कर आवश्यकताएं नियोजित होती हैं और उन्हें विस्तृत प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ाया जाता है जिसमें दस वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी), पांच वर्षीय रक्षा क्षमता अर्जन योजना (डीसीएपी) और वार्षिक अर्जन योजना (एएपी) और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अर्जन परिषद द्वारा विचार-विमर्श शामिल हैं ।

सरकार द्वारा सामरिक क्षमताओं में वृद्धि करने और उन्नत प्रौद्योगिकी/उत्पादों को विकसित करने हेतु निम्नलिखित पहलें/नीतियां की गई/अपनाई गई हैं :-

- डीआरडीओ ने 05 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (डीवाईएसएल) की स्थापना की है ताकि उन्नत प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों अर्थात कृत्रिम बौद्धिकता, क्वांटम प्रौद्योगिकियां, संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकियां, असममित प्रौद्योगिकियों और गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों के संबंध में समाधान प्रदान कर सके जिससे सैन्य युद्ध में उभरती चुनौतियों से निपटा जा सके ।

- मार्च 2022 में उद्योग के नेतृत्व वाले अभिकल्पन और विकास हेतु 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की सेनाओं की कुल 310 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और कुल 2958 मदों की दो 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' की अधिसूचना जिनके लिए उनके सामने इंगित समय-सीमा के बाद आयात पर रोक होगी।
- स्टार्टअप और लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडीईएक्स) योजना का शुभारंभ।
- एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ।
- देश में रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित 25% आर एंड डी बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शैक्षिक संस्थाओं हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का प्रारंभ।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में श्री वी के श्रीकंदन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण **07, 1944**

शुक्रवारः **29** जुलाई **2022**

आयुध निर्माणियां

सरकार द्वारा देश में अब तक कुल 41 आयुध निर्माणियों की स्थापना की गई है। वर्तमान में नई आयुध निर्माणियों की स्थापना का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, आधुनिक हथियारों और युद्ध सामग्री के स्वदेशी रूप से विनिर्माण हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 से 41 आयुध निर्माणियों को रक्षा क्षेत्र के सात नए सार्वजनिक उपक्रमों में परिवर्तित करके पिछले कई वर्षों में विकसित की गई 90,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नई कंपनियों को कर दिया गया है।

इन आयुध निर्माणियों द्वारा विनिर्मित हथियार भारतीय सशस्त्र सेनाओं में पहले से ही उपयोग में लाए जा रहे हैं और साथ ही विभिन्न देशों को इनका निर्यात किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष हेतु सार्वजनिक क्षेत्र रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी रक्षा कंपनियों दोनों द्वारा रक्षा उपस्कर का निर्यात मूल्य नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात मूल्य
2019-20	9115.55
2020-21	8434.84
2021-22	12814.54
2022-23 (वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही तक)	1191.01*

(*वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान निजी फर्मों को जारी प्राधिकारों के आधार पर)

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में श्रीमती रंजीता कोली एवं अन्य द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण **07, 1944**

शुक्रवारः **29** जुलाई **2022**

रक्षा सेनाओं में सैनिकों/अधिकारियों की क्षमताओं का उन्नयन

सरकार ने सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवारत सैनिकों और अधिकारियों को तनावमुक्त करने और उनकी क्षमताओं का उन्नयन करने के लिए उपाय किए है ।

सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवारत सैनिकों और अधिकारियों को तनावमुक्त करने तथा उनकी क्षमताओं का उन्नयन करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(i). तनावमुक्त करने के लिए किए गए उपायः सैनिकों और अधिकारियों को तनावमुक्त करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा हैः-

(कक) सैनिकों के लिए भर्ती संबंधी प्रशिक्षण और अधिकारियों के लिए कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण सहित सैनिकों और अधिकारियों का प्रशिक्षण सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है, जिसमें उन्हें सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्तरों पर तनाव के प्रगामी स्तरों के बारे में जागरुक किया जाता है ।

(कख) कार्मिकों की प्रतिबद्धताओं में स्थिरता और संभाव्यता प्रदान करने हेतु प्रमुख प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक आयोजनों की वार्षिक योजना ।

(कग) सैनिकों और अधिकारियों को तनावमुक्त रखने के उद्देश्य से उनके दैनिक/साप्ताहिक रूटीन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्याप्त अंतर रखा जाता है और उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में सुधार लाने हेतु तैयार किया जाता है ।

(कघ) प्राधिकार के अनुसार वार्षिक और आकस्मिक छुट्टी ।

(कड.) यूनिट, फोर्मेशन और स्टेशन स्तर पर नैमित्तिक गतिविधियों, साक्षात्कारों और सैनिक सम्मेलनों के दौरान औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श के जरिए कार्मिकों का नियमित विचार-विमर्श, निगरानी तथा परीक्षण ।

(कच) यूनिट, फोर्मेशन और स्टेशन स्तरों पर शिकायतों के निपटान हेतु तंत्र ।

(कछ) जरूरतमंद कार्मिकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं और चिकित्सीय सुविधाओं का प्रावधान ।

(कज) 'बडी पेयर्स' और 'चार-यार की संकलपना' जिसमें नैतिक और मानसिक सहायता सुनिश्चित करने तथा समय रहते तनाव संबंधी समस्याओं वाले कार्मिकों के मामलों की

पहचान करने के उद्देश्य से कार्मिकों के बीच सामान्य दैनिक कार्यक्रम होते हैं और वे नियमित रूप से परस्पर विचार-विमर्श करते हैं ।

(कझ) घरेलू जिम्मेवारियों के निर्वहन में स्थिरता प्रदान करने के लिए विवाहित आवास, मनोरंजन सुविधाओं, बच्चों के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा के प्रावधान सहित कल्याणकारी गतिविधियां ।

(कञ) बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यूनिट और स्टेशन स्तर पर खेलकूद और अन्य सुविधाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना ।

(ii). <u>क्षमताओं का उन्नयन करने हेतु किए गए उपायः</u>- सैनिकों और अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और उनकी क्षमता का उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा हैः-

(कक) सभी कार्मिकों को अधिदेशित कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आत्मविश्वास लाने और अपेक्षित कार्यकुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से हथियारों, उपस्करों और प्रशासन सहित सेवा संबंधी मामलों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है ।

(कख) समारोह संबंधी कार्यों पर कम बल देते हुए संक्रियात्मक प्रशिक्षण ।

(कग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य सेवाकाल के विभिन्न चरणों में जिम्मेवारी और भूमिका के अनुसार ड्यूटी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए सैनिकों और अधिकारियों का समग्र विकास और तैयारी सुनिश्चित करना है ।

(कघ) पर्याप्त अंतराल के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम और दैनिक/साप्ताहिक रूटीन ।

(कड.) संगठन में आत्मविश्वास और भरोसा पैदा करने के उद्देश्य से सैनिकों और अधिकारियों सहित सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए वेतन और भत्ते, हकदारी, कल्याणकारी योजनाओं और प्रावधानों से संबंधित सूचना का समय पर प्रख्यापन और प्रचार-प्रसार ।

(कच) जहां लागू हो, अधिक प्रभावी प्रशिक्षण के लिए सिम्यूलेटरों का उपयोग ।

(कछ) कतिपय उपस्करों/ट्रेड संबंधी प्रशिक्षण के लिए लीड सेवा चिंहित करने के लिए तीनों सेना संबंधी अध्ययन पूरा किया गया है । इसके अलावा, इस अध्ययन में सेवारत अधिकारियों और कार्मिकों का बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं में विद्यमान सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश की गई है ।

(कज) प्रशिक्षण पद्धतियों की आधुनिक युद्ध प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें सुमेलित करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है । आईटी, साइबर, अंतरिक्ष जैसी नई विधाओं को लागू किया गया । इसके अलावा, भर्ती किए गए कार्मिकों के पास पहले उपलब्ध प्रतिभा का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण पद्धतियों की समीक्षा की गई है ।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में इंजीनियर गुमान सिंह दामोर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 07, 1944

शुक्रवारः 29 जुलाई 2022

बीआरओ द्वारा सड़कों का रखरखाव

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव पर सरकार द्वारा संस्वीकृत तथा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा व्यय की गई निधि की मात्रा अनुबंध के अनुसार संलग्न है।

बीआरओ वार्षिक आधार पर आवंटित धनराशि से नियमित रूप से सड़कों के रखरखाव का कार्य करने के लिए अधिदेशित है । बीआरओ द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी)-82 (बिटुमिनस सड़क के रखरखाव हेतु पद्धति संहिता) एवं तकनीकी अनुदेश (टीआई) सं. 2 में निर्धारित उपबंधों का प्रयोग दिशा-निर्देश के रूप में किया जा रहा है।

बीआरओ द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़क प्रणाली के निर्माण के लिए उठाए गए कदमों में नई प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों का अंगीकरण, संविदाओं के निष्पादन का अभियांत्रिकी अधिप्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी) मोड आदि शामिल है । पिछले तीन वर्षों के दौरान 711.29 करोड़ रु. मूल्य के नवीन एवं आधुनिक उपस्कर तथा निर्माण संयंत्रों को अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदित किया गया है।

भारतीय सेना द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर सामरिक आवश्यकताओं के आधार पर बीआरओ सड़कों का निर्माण करता है । कार्य योजना संबंधी संशोधित दीर्घकालीन पंजी (एलटीआरओडब्ल्यूपी) 2018-23 के अनुसार, राजस्थान राज्य में 121.70 किमी लंबी तीन (3) सड़क परियोजनाओं को पूरा किया गया है।

'बीआरओ द्वारा सड़कों के रखरखाव' के बारे में उल्लिखित अनुबंध

<u>पिछले तीन वर्षों के दौरान, बीआरओ द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए आवंटित एवं व्यय किए गए धन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण</u>

(करोड़ रु. में)

राज्य	2019-20		2020-21		2021-22	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
राजस्थान	57.71	57.71	66.02	66.02	74.54	74.53
पंजाब	14.89	14.89	17.15	17.15	19.54	19.68
हिमाचल प्रदेश	60.71	60.71	93.00	93.00	77.71	77.68
उत्तराखंड	47.35	47.35	40.52	40.52	45.01	42.81
अरूणाचल प्रदेश	141.35	141.35	242.22	242.22	184.03	183.49
असम	8.86	8.86	15.37	15.37	11.57	11.59
जम्मू एवं कश्मीर	169.43	169.43	246.98	246.98	220.40	211.96
लद्दाख संघशासित प्रदेश	126.94	126.94	187.85	187.85	138.35	138.53
नागालैंड	33.36	33.36	34.30	34.30	24.20	24.20
मणिपुर	14.30	14.30	14.70	14.70	10.37	10.37
मिजोरम	29.75	29.75	70.58	70.58	42.81	42.81
अंडमान एवं निकोबार	0.06	0.06	0.14	0.14	0.09	0.09
सिक्किम	31.21	31.21	57.07	57.07	68.42	66.38
पश्चिम बंगाल	5.08	5.08	9.29	9.29	11.14	10.81
मेघालय	0.44	0.44	0.83	0.83	0.84	0.59
विविध	137.85	137.85	107.98	107.98	80.18	79.73
कुल	**879.30**	**879.30**	**1,204.00**	**1,204.00**	**1,009.19**	**995.25**

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 07, 1944

शुक्रवारः 29 जुलाई 2022

सैन्य खर्च

यह मंत्रालय अन्य देशों के खर्च संबंधी आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सीआईपीआरआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत का सैन्य खर्च विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मौजूदा अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	देश	वर्ष **2021** के लिए खर्च
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	800,672.20
2	चीन	293,351.90
3	भारत	76,598.00

वर्ष 2017-21 के दौरान, स्टोर्स/रक्षा उपस्करों की खरीद के लिए की गई विदेशी अधिप्राप्ति (राजस्व एवं पूंजी दोनों) के प्रतिशत की रेंज 33.97 प्रतिशत से 41.60 प्रतिशत रही है।

रक्षा विनिर्माण में 'मेक इन इंडिया' की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

i. मेक I, मेक II, एसपीवी मॉडल और आईडेक्स मार्ग के तहत उद्योग द्वारा संचालित डिजाइन एवं विकास के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 18 प्रमुख प्लेटफार्मों को अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

ii. कुल अधिप्राप्ति में घरेलू अधिप्राप्ति के अंश में वृद्धि हुई है । वर्ष 2018-19 में, घरेलू अधिप्राप्ति कुल अधिप्राप्ति की 54 प्रतिशत थी, यह आंकड़ा वर्ष 2019-20 में बढ़कर 59 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में 64 प्रतिशत हो गया । इस वर्ष घरेलू अधिप्राप्ति के अंश में और वृद्धि करके इसे 68 प्रतिशत करने का लक्ष्य है ।

iii. एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवाचारकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और उन्हें ऐसे अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए अनुदान/वित्त पोषण व अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए, जिसकी भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना हो, अप्रैल, 2018 में रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार (आईडीईएक्स) शीर्षक से रक्षा के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की शुरूआत की गई है । अब तक, 125 समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं, 136 स्टार्ट-अप्स लगाए गए हैं, 95 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

iv. उच्च कोटि के समाधानों के विकास को समर्थ बनाने के लिए 10 करोड़ रु. तक के सहायता अनुदान के साथ स्टार्ट-अप्स की सहायता करने हेतु आईडेक्स के अंतर्गत 'आईडेक्स प्राइम' फ्रेमवर्क की शुरूआत वर्ष 2022 में की गई है ।

v. सरकार ने रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने और स्टार्ट-अप्स की सहायता करने के लिए 498.78 करोड़ रु. (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के परिव्यय के साथ एक योजना भी अनुमोदित की है । इससे 300 से अधिक स्टार्ट अप नई डिजाइन और विकास परियोजनाओं में भाग लेने में सक्षम होंगे तथा 20 साझेदार इनक्यूबेटरों को भी मदद मिलेगी।

vi. डीपीएसयू द्वारा रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और किए जाने वाले आयात को कम करने के प्रयास के भाग के रूप में विभाग द्वारा एक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की गई है । इस सूची में 2500 आयातित मदें जिनका स्वदेशीकरण किया जा चुका है और उच्च मूल्य की 351 आयातित मदें हैं जिनका स्वदेशीकरण आगामी 3 वर्षों में किया जाएगा, शामिल हैं । 351 मदों में से 147 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है ।

vii. उच्च मूल्य प्लेटफार्म की 107 लाइन रिप्लेसेबल इकाइयों (एलआरयू)/उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण के लिए डीपीएसयू की एक अन्य सूची 28.03.2022 को अधिसूचित की गई थी।

आज की तारीख तक 4 एलआरयू का स्वदेशीकरण किया जा चुका है; 5 एलआरयू परीक्षण चरण में हैं और 31 एलआरयू डिजाइन एवं विकास चरण में हैं।

viii. आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई/स्टार्ट अप्स/ उद्योग को विकास संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उद्योग इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/ओएफबी/सेनाओं के लिए अगस्त, 2020 में सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल शुरू किया गया है । अब तक, 21000 से अधिक रक्षा मदें जिनका पहले आयात किया जाता था, इस पोर्टल पर प्रदर्शित की जा चुकी हैं । 388 निजी विक्रेताओं ने 4700 से अधिक मदों के स्वदेशीकरण लिए रूचि दिखाई है और अब तक 410 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है ।

ix. रक्षा उपस्करों के स्वदेशी विकास एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेक-II' श्रेणी (उद्योग द्वारा वित्त-पोषित) हेतु पृथक प्रक्रिया अधिसूचित की गई है । इस प्रक्रिया में अनेक उद्योग हितैषी प्रावधान जैसे पात्रता मानदंड में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्ति द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रावधान इत्यादि लागू किए गए हैं । अब तक, सेना, नौसेना एवं वायुसेना से संबंधित 72 परियोजनाओं को 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया गया है । 38 आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन), 05 प्रोटोटाइप का विकास किया गया है और सेनाओं द्वारा 02 अधिप्राप्ति संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

x. औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता वाली रक्षा उत्पाद सूची को तर्कसंगत बनाया गया है और अधिकांश कलपुर्जों अथवा संघटकों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । आईडीआर अधिनियम के तहत मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि उसे मामला-दर-मामला आधार पर आगे 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

xi. देश में 6 से 8 ग्रीन फील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचनाएं स्थापित करने के लिए रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) बनायी गई है । यह योजना घरेलू उद्योग के लिए रक्षा परीक्षण अवसंरचना में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने में सहायता करेगी ।

xii. आयुध निर्माणियों को स्वायतत्ता प्रदान करने एवं कार्यक्षमता बढ़ाने और विकास की नई संभावना में वृद्धि करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया गया है और सभी पणधारियों के हितों की रक्षा करते हुए इसे 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परिवर्तित किया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र के नए रक्षा उपक्रम 1 अक्तूबर, 2021 से प्रचालित हैं ।

xiii. नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस मांगने वाली कंपनियों के लिए एफडीआई नीति को रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के जरिए 74 प्रतिशत तक एफडीआई और जहां कहीं आधुनिक

प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनने की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों के लिए सरकारी मार्ग के जरिए शत-प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति दी है । गत 7 वर्षों में रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है । वर्ष 2001 से 2014 तक के 14 वर्षों में एफडीआई प्रवाह 1382 करोड़ रु. होने की सूचना है । गत 7 वर्षों में (वर्ष 2014-15 से आज की तारीख तक) एफडीआई प्राप्ति में लगभग 2..5 गुना वृद्धि हुई है जो कुल 3378 करोड़ रु. है ।

xiv. सरकार ने देश में रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और एक व्यापक रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किए हैं । इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों ने इन दोनों गलियारों में मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) सहित निजी भागीदारों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी एयरोस्पेस और रक्षा नीतियां भी प्रकाशित की है ।

पैरामीटर	टीएनडीआईसी	यूपीडीआईसी
निवेश (मूल्य करोड़ रु. में)	3176	1767
भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)	910	1598
हस्ताक्षरित एमओयू (मूल्य करोड़ रु. में)	41 (11108)	84 (9756)

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में श्रीमती नुसरत जहां द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण **07, 1944**

शुक्रवारः **29** जुलाई **2022**

वन रैंक वन पेंशन योजना

सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.11.2015 के पत्र सं. 12(1)/2014/रक्षा(पेंशन/पॉलिसी)- भाग-II द्वारा वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) कार्यान्वित की है और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 03.02.2016 के पत्र सं.12(1)/2014/रक्षा(पेंशन/पॉलिसी)-भाग-II द्वारा पेंशन के निर्धारण हेतु तालिकाएं जारी की गईं थीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 16.03.2022 के आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि दिनांक 7 नवंबर, 2015 की सूचना के अनुसार, पुनर्निर्धारण कार्य पांच वर्ष समाप्त होने पर 1 जुलाई, 2019 से किया जाएगा। दिनांक 01.07.2019 से ओआरओपी के तहत पेंशन में संशोधन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री राजमोहन उन्नीथन** द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 07, 1944

शुक्रवारः 29 जुलाई 2022

तटीय सुरक्षा

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा वास्तविक समय के आधार पर चेन ऑफ स्टैटिक सेंसर (सीएसएस) के माध्यम से तटीय निगरानी और सर्विलेंस किया जाता है जिसमें कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क (सीएसएन) के अधीन स्थापित 46 रडार स्टेशन शामिल हैं।

चेन ऑफ कोस्टल हाई डेफिनेशन सरफेस वॉर्निंग रडार के माध्यम से कोस्टल सर्विलेंस प्रणाली तटीय सुरक्षा क्रियान्वित करने के लिए एक साधन है। रडार वर्ष 2011 से लगे हुए हैं और उनका पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हैं।

(i) समुद्रीय कानून प्रवर्तन, तटीय सुरक्षा, प्रदूषण के प्रति प्रतिक्रिया, खोज एवं बचाव और सार्वजनिक कार्यों के प्रति अन्य घोषित/अधिदेशित कर्तव्य सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर निगरानी के लिए पोतों और विमानों का परिनियोजन।

(ii) तटीय सुरक्षा के माध्यम से निगरानी एवं नियंत्रण पर पोतों द्वारा बृहद और गैर-बृहद बंदरगाहों के साथ समन्वय।

(iii) सभी हितधारकों के बीच समन्वय के लिए आईसीजी द्वारा सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र में तटीय सुरक्षा हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का प्रख्यापन।

(iv) तटीय सुरक्षा गतिविधियों और तटीय सुरक्षा अभ्यासों का आयोजन।

(v) तटीय सुरक्षा तंत्र प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु मछुआरों में जागरुकता लाने के लिए समुदाय संवाद कार्यक्रमों (सीआईपी) के माध्यम से तटीय समुदाय के साथ एकीकरण।

(vi) आईसीजी द्वारा मरीन पुलिस और संयुक्त तटीय गश्त का क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण।

(vii) भूमि स्रोतों से समुद्रों में बह जाने वाले प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए एनजीओ और एनसीसी के सहयोग में 'पुनीत सागर अभियान' एवं 'स्वच्छ सागर अभियान' के तत्वावधान में प्लास्टिक मुक्त सागर अभियान का शुभारंभ।

(viii) मरीन पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु तेल रिसाव प्रतिक्रिया टीमों और प्रदूषण प्रतिक्रिया पोतों का परिनियोजन।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में श्री सुनील कुमार सिंह एवं श्री संजय काका पाटील द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस